[2022] 16 एस. सी. आर. 99

ए.

राजाराम

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. (2022 की आपराधिक अपील संख्या 2311) 16 दिसंबर, 2022

बी.

[एस**.** रवींद्र भाट और सुधांशु धूलिया**,** जे**.** जे**.]**

साक्ष्य अधिनियम, 1872 -धारा 32-एकाधिक मृत्यु घोषणा के बीच विसंगतियाँ-अभियोजन मामला कि पीड़ित-मृत को उसके पति (अपीलार्थी) द्वारा जली हुई स्थिति में अस्पताल लाया गया था-उसकी पहली मृत्यु घोषणा (उदा. पी-11) दर्ज किया गया था जिसमें अपीलार्थी का नाम नहीं लिया गया था-उसकी दूसरी मृत्यु घोषणा (एक्स। पी-26) को पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था, इससे पहले कि उसने दम तोड़ दिया, जिसमें उसने अपने पति का नाम लिया-ट्रायल न्यायालय ने एक आरोपी यू/एस को दोषी ठहराया।302 आई. पी. सी. और आई. पी. सी. की धारा 498 ए के तहत अपराधों के लिए अपीलार्थी और अन्य अभियुक्त-अपीलार्थी और अन्य अभियुक्तों ने उनकी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती दी, हालांकि, उच्च न्यायालय ने उनकी अपीलों को खारिज कर दिया-उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में पहली मृत्यु घोषणा को स्वीकार कर लिया और पुलिस द्वारा दर्ज की गई दूसरी मृत्यु घोषणा को खारिज कर दिया-अपील पर कहा गयाःमृत्यु घोषणा का महत्व और उपयोगिता आसपास की परिस्थितियों और न्यायालय द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उससे जुड़ी विश्वसनीयता पर निर्भर करती है-इसलिए, क्या बयान दर्ज करने से पहले चिकित्सा प्रमाणन होना आवश्यक है, कौन इसे दर्ज करता है, आदि सभी तथ्यों पर निर्भर हैं, और न्यायालयों द्वारा कोई रूढ़िवादी दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा सकता है-दूसरी मृत्यु घोषणा के मामले में, उच्च न्यायालय की राय थी कि भले ही पीडब्लू-15 को डॉक्टर से फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी मृत्यु के बयान में अंतिम पंक्ति को देखते हुए कि उसकी स्थिति खराब थी, इस तरह के बयान पर भरोसा करना असुरक्षित था-दूसरा मृत्यु घोषणा एकमात्र सबूत है जो अपीलार्थी को मृतक पर क्रूरता के अपराधियों में से एक के रूप में नामित करता है।498 अपीलार्थी के अपास्त करना ए-अपीलार्थी की दोषसिद्धि और सजा-दंड संहिता, 1860-एस. एस.302, 307, 304-बी, 498-ए।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

99 ए.

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.** इस न्यायालय के निर्णय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत, विशेष रूप से लक्ष्मण और कई मृत्यु घोषणाओं से संबंधित निर्णय, जो एक आपराधिक मुकदमे के दौरान प्रस्तुत किए गए थे, विशेष रूप से जहां मृतक जलने से पीड़ित था और जलने की चोटों के कारण उसकी मौत हो गई थी और मृत्यु से पहले एक से अधिक मृत्यु घोषणा की गई थी, ने संकेत दिया है कि रिकॉर्ड पर समग्र तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विश्वसनीयता की परीक्षा को अपनाया जाना चाहिए।यह न्यायालय नोटिस करती है कि वर्तमान एक ऐसा मामला है जहां दूसरी मृत्यु घोषणा को उच्च न्यायालय द्वारा पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है।इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय द्वारा भरोसा किए गए साक्ष्य के संचयी भार की जांच करने की आवश्यकता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या अपीलार्थी उस अपराध का दोषी है जिसके लिए वह दोषी ठहराया गया है, यानी आई. पी. सी. की धारा **498** ए। **Ex.** पी**-26,** दूसरी मृत्यु घोषणा एकमात्र सबूत है जो अपीलार्थी को अन्य अभियुक्तों के साथ मृतक पर क्रूरता के अपराधियों में से एक के रूप में नामित करता है।अवर न्यायालयों दोनों न्यायालयों ने पूर्व में इस पर ध्यान दिया है। पी**-11,** पहली मृत्यु घोषणा, अपीलार्थी का नाम नहीं लिया गया है**;** बल्कि वह अपने पिता के साथ गंभीर रूप से घायल स्थिति में मृतक को अस्पताल ले गया।निस्संदेह, पहली मृत्यु घोषणा का ध्यान केवल मिट्टी का तेल डालने और मृतक को आग लगाने की घटना पर केंद्रित है।दूसरी मृत्यु घोषणा, एक्स। अकेले पी**-26** क्रूरता के कृत्यों का विस्तार से वर्णन करता है।यह अभियुक्त के खिलाफ अपराध साबित करने वाला एकमात्र सबूत है।जहाँ तक न्यायालय द्वारा विचार की गई रिपोर्ट में वस्तुओं की बरामदगी और मिट्टी के तेल की गंध का संबंध है, वे मृतक को आग लगाने की घटना से संबंधित परिस्थितियाँ हैं।वे अपीलार्थी के खिलाफ धारा **498** ए के तहत अभियोजन पक्ष के मामले को आगे नहीं बढ़ाते हैं।उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलार्थी के खिलाफ एकमात्र साक्ष्य, अर्थात, पूर्व। पी**-26** को उच्च न्यायालय द्वारा बदनाम किया गया था, उसकी दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए कोई अन्य सामग्री नहीं है। **[**पारस **19-21] [111-D-H; 112-A-B]**

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

लक्ष्मण बनाम महाराष्ट्र राज्य **[2002]** पूरक।एससीआर

जी.

697 – पीछा किया।

जगबीर सिंह बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य **(2019) 8** एस**.** सी**.** सी**. 779: [2019] 11** एस**.** सी**.** आर**. 1137;** लखन बनाम मध्य राज्य

प्रदेश [2010] 9 एस. सी. आर. 705-पर निर्भर था।

एच.

101

राजाराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस.

ए.

संदर्भित निर्णय

[2002] पूरक।एससीआर **697**

पैरा **14** का अनुसरण किया गया

[2010] 9 एससीआर **705**

पैरा **15** पर निर्भर

[2019] 11 एससीआर **1137**

संदर्भित किया गया है

पैरा **16**

बी.

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2022 की आपराधिक अपील संख्या 2311।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांकित 18.04.2022 के निर्णय और आदेश से, सीआरए सं. 148/2011 में ग्वालियर की पीठ।

दिव्यकांत लाहोटी, सुश्री मधुर झावर, प्रार्थना आहूजा, सुश्री विंध्य मेहरा, सुश्री प्रवीणा भिस्त, अधिवक्तागण अपीलार्थी के लिए।यशराज सिंह बुंदेला, गौरव चौधरी, गोपाल झा, अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए।

सी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डी.

एस. रवींद्र भट्ट, न्याय०

1. विशेष अवकाश दिया गया।अपीलार्थी (मृतक का पति) भारतीय दंड संहिता (आई. पी. सी.) की धारा 498 ए के तहत अपनी दोषसिद्धि और उस पर लगाए गए दंड से व्यथित है।उस अपराध के संबंध में दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ उनकी अपील को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के विवादित फैसले से खारिज कर दिया गया था।

ई.

2. अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि 23-04-2009 पर 10 बजे:00 ए. एम., अस्पताल से जानकारी मिली कि एक महिला को उसके पति (अपीलार्थी) द्वारा जली हुई हालत में वहां लाया गया था।अशोक नगर जिला अशोक नगर, गुना, एम. पी. पुलिस स्टेशन के अनुरोध पर घायल पुष्पा का चिकित्सा कानूनी प्रमाण पत्र (एम. एल. सी.) जारी किया गया।उनकी मृत्यु की घोषणा दर्ज की गई थी।

एफ.

3. आईडी1 पर मिट्टी के तेल से बदबू आने वाले कुछ जले हुए कपड़े, एक चिमनी, मिट्टी के तेल से बदबू आने वाला एक टूटा हुआ मंगलसूत्र, "आनंद" वाला एक माचिस का डिब्बा जिसमें 3-4 माचिस की छड़ें थीं, जब्त की गईं।एक स्थल मानचित्र भी तैयार किया गया था।गवाहों के बयान दर्ज किए गए।घायल पुष्पा ने जिला अस्पताल, गुना में 10-05-2009 पर दम तोड़ दिया।शव का पोस्टमार्टम कराया गया।जब्त की गई वस्तुओं को एफएसएल के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने जाँच पूरी करने के बाद अपीलार्थियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आई. पी. सी.) की धारा 302,307,304 बी, 498 ए/34 और दहेज की धारा 3 और 4 के तहत आरोप पत्र दायर किया।

जी.

एच.

ए.

निषेध अधिनियम। निचली विचारण न्यायालय ने दिनांक आई. डी. 1 के आदेश से शांति बाई के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 498 ए, या वैकल्पिक 304 बी के तहत आरोप तय किए, जबकि शेष अभियुक्तों, अर्थात् अपीलार्थी , राम दयाल, राम सिंह, कमला बाई और सुशीला बाई उर्फ हल्की के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 498 ए, 304 बी के तहत आरोप तय किए। आरोपी ने खुद को निर्दोष बताया।अभियोजन पक्ष ने 15 गवाहों से पूछताछ की।सुशीला बाई उर्फ हल्की शुरू में निचली विचारण न्यायालय में पेश हुईं और उसके बाद खुद अनुपस्थित रहीं; उन्हें फरार घोषित कर दिया गया और गिरफ्तारी का स्थायी वारंट जारी किया गया।निचली विचारण न्यायालय ने विवादित फैसलों से शांति बाई को आई. पी. सी. की धारा 242 और अपीलार्थी और अन्य अभियुक्तों को आई. पी. सी. की धारा 498 ए के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया और सजा सुनाई। 4.अपीलार्थी और अन्य अभियुक्तों ने अपनी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती दी।उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश द्वारा उनकी अपीलों को खारिज कर दिया।नतीजतन, अपीलार्थी की दोषसिद्धि और आई. पी. सी. की धारा 498 ए के तहत सजा की पुष्टि की गई।

बी.

सी.

5. अपीलार्थी राजाराम की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री दिव्यकांत लाहोटी ने आग्रह किया कि अवर न्यायालयों मृतक, उसकी पत्नी द्वारा मृत्यु घोषणा पर भरोसा करने में गलती करती हैं।यह तर्क दिया गया था कि जहां किसी व्यक्ति द्वारा उसकी मृत्यु के कारण या मृत्यु के परिणामस्वरूप लेनदेन की किसी भी परिस्थिति के बारे में बयान दिया जाता है, वह बयान स्वीकार्य होगा।यह तर्क दिया गया था कि इसलिए, मृतक द्वारा अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए आरोप, यानी अपीलार्थी राजाराम, अपनी मृत्यु घोषणा में अस्वीकार्य होंगे क्योंकि वे उस लेनदेन की परिस्थितियों के नहीं थे जिसके परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हुई थी।

डी.

ई.

6. इसके बाद यह प्रस्तुत किया गया कि मृतक के भाई दशरथ रायकवार (पीडब्लू. 1); मृतक के पिता फूल चंद्र (पीडब्लू. 2); मृतक की बहन मायाबाई (पीडब्लू. 3); और मृतक के बहनोई रामचरण (पीडब्लू. 4) ने उस पर की गई क्रूरता के बारे में अभियोजन पक्ष के बयान का समर्थन नहीं किया।इन परिस्थितियों में, अपीलार्थी की दोषसिद्धि अस्थिर है।

एफ.

7. विद्वान अधिवक्ता ने यह भी आग्रह किया कि अवर न्यायालयों तथाकथित मृत्यु घोषणाओं, एक्स के बीच महत्वपूर्ण विरोधाभासों को महत्व नहीं देने में गलती में पड़ गईं। पी-11 और एक्स। पी-26।यह प्रस्तुत किया गया था कि पीडब्लू-7 की गवाही, जिन्होंने पूर्व को दर्ज किया था। पी-11 और पीडब्लू-10, डॉक्टर, दस्तावेज़ के लिए जिम्मेदार समय के संबंध में असंगत और असंभव हैं।इसके अलावा, बाद की घोषणा Ex। पी-26 संदिग्ध है; स्वर्गीय पुष्प की सचेत स्थिति के बारे में किसी भी डॉक्टर से मंजूरी प्राप्त करके इसे दर्ज नहीं किया गया था।इस तथ्य को देखते हुए कि सभी सामग्री ए

जी.

एच.

103

राजाराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

जिन गवाहों ने दहेज की मांगों से संबंधित क्रूरता का आरोप लगाया हो सकता था, अपीलार्थी को छोड़कर, उन्हें एक्स में नामित किया गया था। पी-11, अपीलार्थी को बाद में मृत्यु घोषणा में शामिल करना (उदा. पी-26) अविश्वसनीय है।बयान दर्ज किए जाने पर डॉक्टर की अनुपस्थिति और यह तथ्य कि अपीलार्थी का नाम पहली मृत्यु घोषणा के लिए नहीं था, बल्कि दूसरी घोषणा में दोनों मृत्यु घोषणाओं को अविश्वसनीय बनाता है।यह प्रस्तुत किया गया था कि उच्च न्यायालय ने वास्तव में दूसरी मृत्यु घोषणा को खारिज कर दिया था।

बी.

8. अंत में अपीलार्थी की ओर से यह आग्रह किया गया कि चूंकि अभियोजन पक्ष धारा 304 बी के तहत आरोप साबित नहीं कर सका, इसलिए उसे मृत्यु घोषणा के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता था, क्योंकि साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 केवल प्रासंगिक बयान देती है जो इसे बनाने वाले व्यक्ति की मृत्यु के आसपास की परिस्थितियों से संबंधित है और वर्तमान मामले में, एकमात्र मृत्यु घोषणा, एक्स। पी-11 में कहीं भी अपीलार्थी के कारण क्रूरता के किसी भी कार्य का उल्लेख नहीं है।9. राज्य की ओर से, विद्वान अधिवक्ता श्री यशराज सिंह बुंदेला ने तर्क दिया कि अवर न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए और अपील में साक्ष्य की सराहना शामिल है।चूंकि इन निष्कर्षों के संबंध में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे विकृत या अनुचित कहा जा सकता है, जो साक्ष्य पर आधारित हैं, इस न्यायालय को निष्कर्षों को परेशान करने या हस्तक्षेप करने के लिए अपने विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

सी.

डी.

ई.

10. यह प्रस्तुत किया गया था कि यह तथ्य कि गवाह मुकर गए, निस्संदेह एक प्रासंगिक पहलू हो सकता है।फिर भी, इसे अन्य कारकों के साथ तौलना पड़ता है, सबसे महत्वपूर्ण पूर्व के रूप में दर्ज मृत्यु घोषणा है। पी-26।वकील ने प्रस्तुत किया कि पहली मृत्यु घोषणा, यानी, एक्स। पी-11 ने अपराध के वास्तविक अपराधियों को सूचीबद्ध किया, जो मृतक को मिट्टी का तेल देने और उसे आग लगाने के लिए जिम्मेदार हैं, जबकि एक्स। पी-26 में उसके साथ हुई क्रूरता का विवरण था क्योंकि वह विकलांग थी और उसकी एक बेटी थी।ये और जिन लोगों ने उसके साथ क्रूरता से व्यवहार किया, उसे ताना मारा और दहेज की मांग की, उन सभी का नाम लिया गया। इनमें अपीलार्थी , उसका पति शामिल थे।पहले और दूसरे कथनों के बीच निकटता थी।यह प्रस्तुत किया गया था कि मानसिक स्थिति के बारे में डॉक्टर द्वारा किसी भी समर्थन की अनुपस्थिति, या बयान दर्ज करने के लिए योग्यता, या यह कि यह एक पुलिसकर्मी द्वारा दर्ज किया गया था, इसके परिणामस्वरूप इसे खारिज नहीं किया जा सकता है।

एफ.

जी.

एच.

विश्लेषण और निष्कर्ष

11. जैसा कि तथ्यात्मक चर्चा से पता चलता है, घटना, यानी मृतक को आग लगाने की घटना, बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां दो बयान दर्ज किए गए, एक नायब तहसीलदार द्वारा, डॉक्टर द्वारा प्रमाणित, और दूसरा, पुलिस द्वारा दर्ज बयान, इस मामले में विचार के लिए महत्वपूर्ण हैं।मरने की घोषणा में, एक्स। पीडब्लू-7 द्वारा दर्ज पी-11, डॉक्टर द्वारा पीड़ित की जांच के बाद, मृतक ने घटना के आसपास की परिस्थितियों का उल्लेख किया, यानी, उसे कैसे जलाया गया थाः

बी.

"मैं सुबह आंगन में बैठा हुआ था।लड़ाई हो रही थी।मेरी दोनों बड़ी बहनें (जेठानी) लड़ रही थीं। वहाँ एक बड़ी आदि थी, उसमें से मिट्टी का तेल डाला गया था।मेरी साली (जेठानी) किरण और शांति ने मुझ पर मिट्टी का तेल डाला और माचिस की छड़ी से मुझे आग लगा दी।मेरी बड़ी सास वहाँ खड़ी देख रही थी।मेरी सास घर पर नहीं हैं।मेरे पति घर से बाहर थे।"

सी.

डी.

बाद में, घोषणा की रिकॉर्डिंग के दौरान, उन्होंने यह भी कहाः

"दो जेठ हैं, वास्तव में वे तीन जेठ हैं, दो सास हैं, तीसरी जेठानी का नाम सुशीला है।उस समय वह घर पर नहीं थी।वह मुझसे लड़ती थी और मुझे पीटती थी।मेरा छोटा बेटा 6-7 महीने का है। सब पीटते थे।सास भी मुझे पीटती थी।तीनों जेठ मुझसे लड़ते थे।उन्होंने मुझे लंगड़ा कहा।वे मुझसे दहेज की मांग करते थे।"

ई.

12. पूर्व की रिकॉर्डिंग। पी-11 10 बजे शुरू हुआः35 और 10 पर समाप्त हुआः50.अपीलार्थी ने गवाहों के बयान के बीच विरोधाभास करने की कोशिश की।हालाँकि, यह न्यायालय इस बात से सहमत नहीं है कि इस तरह का विरोधाभास भौतिक है।साक्ष्य से, यह प्रतीत होता है कि दूसरा कथन Ex। पी-26 को बाद में प्रभारी अधिकारी पीडब्लू-15 द्वारा दर्ज किया गया था।उन परिस्थितियों को बताने के बाद जिनके तहत घटना हुई-जो एक्स की सामग्री के अनुरूप थीं। पी-11, मृतक ने आगे कहाः

एफ.

जी.

"....मैं जलने लगा और मुझे बचाने के लिए रोने लगा, फिर वे दोनों मुझे जलाकर भाग गए, फिर मेरे बड़े ससुर डुकरा ने आकर मुझे बचाया, उन्होंने मुझ पर पानी फेंककर आग बुझाई।मैं पूरी तरह से जल गया हूँ।मेरे शरीर पर पूरे कपड़े जल गए हैं।मेरे चेहरे, छाती, जांघ, पैर, हाथों में ए है

एच.

पूरी तरह से जल गया।मुझे बहुत दर्द हो रहा है।फिर मेरे पति और पड़ोसी लोग मुझे इलाज के लिए अशोक नगर ले आए।मैं उस समय बेहोश हो गया था।मेरे ससुराल वाले, पति, बड़े बहनोई बीरन, हाले उर्फ रामसिंह, प्राणसिंह उर्फ रामदयाळ, बड़ी साली सुशीला, किरणबाई, शांतिबाई और सास कमलाबाई अक्सर दहेज के लिए ताना मारकर मुझे पीटते थे।वे मुझे लंगड़ा कहकर चिढ़ाते थे।वे दहेज में रुपये, मोटरसाइकिल की मांग करते थे।इन लोगों ने कल रात भी मुझे पीटा था जिसे मैंने अपनी छोटी बहन मायाबाई को फोन पर बताया था और कहा था कि मेरी हालत खराब है।"

बी.

सी.

13. साक्ष्य अधिनियम की धारा 32, जो इस अपील के प्रयोजनों के लिए सामग्री है, निम्नानुसार हैः

“32. ऐसे मामले जिनमें व्यक्ति द्वारा प्रासंगिक तथ्य का कथन जो मर चुका है या पाया नहीं जा सकता है, आदि प्रासंगिक हैं।— बयान,

एक ऐसे व्यक्ति द्वारा दिए गए प्रासंगिक तथ्यों के लिखित या मौखिक, जो मर चुका है, या जिसे नहीं पाया जा सकता है, या जो साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया है, या जिसकी उपस्थिति देरी या खर्च की राशि के बिना प्राप्त नहीं की जा सकती है जो मामले की परिस्थितियों में न्यायालय को अनुचित लगती है, स्वयं निम्नलिखित मामलों में प्रासंगिक तथ्य हैंः— (1) जब यह मृत्यु के कारण से संबंधित हो।—जब किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण के बारे में, या लेन-देन की किसी भी परिस्थिति के बारे में बयान दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई, उन मामलों में जिनमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्न में आता है।

डी.

ई.

एफ.

इस तरह के बयान प्रासंगिक हैं, चाहे वह व्यक्ति जिसने उन्हें बनाया था, उस समय जब उन्हें बनाया गया था, मृत्यु की उम्मीद में था या नहीं, और उस कार्यवाही की प्रकृति जो भी हो जिसमें उसकी मृत्यु का कारण सवाल में आता है।(2) या व्यापार के दौरान किया जाता है।— जब बयान ऐसे व्यक्ति द्वारा व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में दिया गया था, और विशेष रूप से जब इसमें व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में रखी गई पुस्तकों में या व्यावसायिक कर्तव्य के निर्वहन में उसके द्वारा की गई कोई प्रविष्टि या ज्ञापन शामिल हो; या धन, माल, प्रतिभूतियों या किसी भी प्रकार की संपत्ति की प्राप्ति के बारे में उसके द्वारा लिखित या हस्ताक्षरित पावती; या

जी.

एच.

उसके द्वारा लिखित या हस्ताक्षरित वाणिज्य में उपयोग किया जाने वाला दस्तावेज़; या एक पत्र या अन्य दस्तावेज़ की तारीख जो आमतौर पर उसके द्वारा दिनांकित, लिखित या हस्ताक्षरित होती है।

(3) या निर्माता के हित के विरुद्ध।—जब बयान इसे बनाने वाले व्यक्ति के आर्थिक या स्वामित्व हित के खिलाफ होता है, या जब, यदि सच होता है, तो यह उसे बेनकाब कर देता है या उसे आपराधिक अभियोजन या हर्जाने के मुकदमे के लिए उजागर करता है।(4) या सार्वजनिक

अधिकार या प्रथा, या सामान्य हित के मामलों के बारे में राय देता है।—जब बयान किसी ऐसे व्यक्ति की राय देता है, किसी ऐसे सार्वजनिक अधिकार या प्रथा या सार्वजनिक या सामान्य हित के मामले के अस्तित्व के बारे में, जिसके अस्तित्व के बारे में, यदि वह मौजूद होता, तो उसे पता होने की संभावना होती है, और जब ऐसा बयान किसी भी विवाद से पहले दिया गया था कि ऐसा अधिकार, प्रथा या मामला उत्पन्न हुआ था।

बी.

सी.

(5) या संबंध के अस्तित्व से संबंधित है।—जब कथन उन व्यक्तियों के बीच किसी संबंध (रक्त, विवाह या गोद लेने द्वारा) के अस्तित्व से संबंधित है जिनके संबंध (रक्त, विवाह या गोद लेने द्वारा) के बारे में कथन देने वाले व्यक्ति के पास ज्ञान का विशेष साधन था, और जब विवाद में प्रश्न उठाए जाने से पहले बयान दिया गया था।

डी.

(6) या पारिवारिक मामलों से संबंधित वसीयत या विलेख में किया जाता है।— जब कथन मृतक व्यक्तियों के बीच किसी संबंध (रक्त, विवाह या गोद लेने द्वारा) के अस्तित्व से संबंधित है, और उस परिवार के मामलों से संबंधित किसी वसीयत या विलेख में किया गया है जिससे ऐसा कोई मृतक व्यक्ति संबंधित था, या किसी पारिवारिक वंशावली में, या किसी मकबरे, पारिवारिक चित्र या अन्य चीज़ पर जिस पर आमतौर पर ऐसे बयान दिए जाते हैं, और जब ऐसा कथन विवादग्रस्त प्रश्न उठाए जाने से पहले किया गया था।

ई.

एफ.

(7) या धारा 13, खंड (ए) में उल्लिखित लेन-देन से संबंधित दस्तावेज़ में।—जब कथन किसी विलेख, वसीयत या अन्य दस्तावेज में निहित हो जो धारा 13, खंड (ए) में उल्लिखित किसी ऐसे लेन-देन से संबंधित हो।

जी.

(8) या कई व्यक्तियों द्वारा बनाया जाता है और विचाराधीन पदार्थ के लिए प्रासंगिक भावनाओं को व्यक्त करता है।—जब बयान कई व्यक्तियों द्वारा दिया गया था, और विचाराधीन मामले के लिए उनकी ओर से प्रासंगिक भावनाओं या छापों को व्यक्त किया गया था।"

एच.

ए.

14. इस न्यायालय ने कई फैसलों में उपरोक्त प्रावधान पर विचार किया है और कहा है कि मृत्यु घोषणा का महत्व और उपयोगिता आसपास की परिस्थितियों और उस विश्वसनीयता पर निर्भर करती है जो न्यायालय उसके सामने पेश किए गए साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उससे जोड़ती है।इसलिए, क्या बयान दर्ज करने से पहले चिकित्सा प्रमाणन होना आवश्यक है, इसे कौन दर्ज करता है, आदि सभी तथ्य निर्भर हैं, और अदालतों द्वारा कोई रूढ़िवादी दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा सकता है।लक्ष्मण बनाम महाराष्ट्र राज्य 1 में इस न्यायालय की पाँच सदस्यीय पीठ ने कानूनी रूप से स्थिति को इस प्रकार समझायाः

बी.

"एक अंतिम घोषणा मौखिक या लिखित हो सकती है और संचार की किसी भी पर्याप्त विधि में हो सकती है, चाहे वह शब्दों द्वारा हो या संकेतों द्वारा या अन्यथा पर्याप्त होगी बशर्ते संकेत सकारात्मक और निश्चित हो।

सी.

हालांकि, ज्यादातर मामलों में, इस तरह के बयान मौत से पहले मौखिक रूप से दिए जाते हैं और मजिस्ट्रेट या डॉक्टर या पुलिस अधिकारी जैसे किसी व्यक्ति द्वारा लिखे जाते हैं।जब इसे दर्ज किया जाता है, तो किसी शपथ की आवश्यकता नहीं होती है और न ही मजिस्ट्रेट की उपस्थिति बिल्कुल आवश्यक होती है, हालांकि प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए मजिस्ट्रेट को बुलाना सामान्य है, यदि किसी व्यक्ति का बयान दर्ज करने के लिए उपलब्ध हो जो मरने वाला है।

डी.

कानून की कोई आवश्यकता नहीं है कि मजिस्ट्रेट को मृत्यु घोषणा अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए और जब ऐसा बयान मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जाता है तो इस तरह की रिकॉर्डिंग के लिए कोई निर्दिष्ट वैधानिक रूप नहीं होता है।नतीजतन, इस तरह के बयान के साथ क्या प्रमाणिक मूल्य या वजन जोड़ा जाना चाहिए, यह अनिवार्य रूप से प्रत्येक विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है।अनिवार्य रूप से जो आवश्यक है वह यह है कि जो व्यक्ति मृत्यु की घोषणा दर्ज करता है, उसे संतुष्ट होना चाहिए कि मृतक मन की स्वस्थ स्थिति में था।

ई.

एफ.

जहां मजिस्ट्रेट की गवाही से यह साबित हो जाता है कि घोषणाकर्ता डॉक्टर द्वारा जांच के बिना भी बयान देने के लिए उपयुक्त था, घोषणा पर कार्रवाई की जा सकती है बशर्ते कि न्यायालय अंततः इसे स्वैच्छिक और सच्चा मानती है।चिकित्सक द्वारा प्रमाणन अनिवार्य रूप से सावधानी

का एक नियम है और इसलिए घोषणा की स्वैच्छिक और सच्ची प्रकृति को अन्यथा स्थापित किया जा सकता है।”

जी.

1 2002 (एसयूपीपी1) एससीआर 697

एच.

15. एक निर्णय में, लखन बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 2 इस न्यायालय ने उस दृष्टिकोण पर विचार किया और संकेत दिया जिसे अपनाया जा सकता है, जहां साक्ष्य में कई मृत्यु घोषणाएं शामिल हैं, जिनमें असंगत तथ्य हो सकते हैं:

“उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मृत्यु घोषणा के मुद्दे पर कानून को इस प्रभाव से संक्षेपित किया जा सकता है कि यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि मृत्यु घोषणा सही और विश्वसनीय है, तो किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे समय में दर्ज किया गया है जब मृतक घोषणा करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ था और यह किसी भी शिक्षण/दबाव/संकेत के तहत नहीं किया गया है; यह दोषसिद्धि दर्ज करने का एकमात्र आधार हो सकता है।ऐसी स्थिति में किसी पुष्टि की आवश्यकता नहीं है।यदि कई मृत्यु घोषणाएँ हैं और उनके बीच विसंगतियाँ हैं, तो आम तौर पर, मजिस्ट्रेट की तरह उच्च अधिकारी द्वारा दर्ज की गई मृत्यु घोषणा पर भरोसा किया जा सकता है, बशर्ते कि इसकी सच्चाई के बारे में किसी भी संदेह को जन्म देने वाली कोई परिस्थिति न हो।यदि ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें घोषणा की गई थी, स्वेच्छा से नहीं और यहां तक कि अन्यथा भी, यह अन्य साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है, तो न्यायालय को एक व्यक्तिगत मामले के तथ्यों की बहुत सावधानी से जांच करनी होगी और निर्णय लेना होगा कि कौन सी घोषणाएं निर्भर करने योग्य हैं।”

बी.

सी.

डी.

ई.

16. हाल ही में, जगबीर सिंह बनाम एन. सी. टी. दिल्ली राज्य मामले में, 3 यह न्यायालय

कई अंतिम घोषणाओं से जुड़े कई पिछले निर्णयों की समीक्षा की और इन शर्तों में कानून को फिर से बताया:

"30. निर्णयों के एक सर्वेक्षण से पता चलेगा कि सिद्धांतों को निम्नानुसार निकाला जा सकता है:

एफ.

ए। किसी व्यक्ति को पूरी तरह से मृत्यु घोषणा के आधार पर दोषी ठहराया जा सकता है जो अदालत के विश्वास को प्रेरित करता है।

बी। यदि घोषणा के बारे में कुछ भी संदिग्ध नहीं है, तो किसी पुष्टि की आवश्यकता नहीं हो सकती है।

जी.

ग. इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायालय को संतुष्ट होना चाहिए कि कोई ट्यूशन या प्रोम्प्टिंग नहीं है।

2 2010 (9) एससीआर 705 3 (2019) 8 एससीसी 779 ए

एच.

109

राजाराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

घ. न्यायालय को इसका भी विश्लेषण करना चाहिए और इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि घोषणा करने में मृतक की कल्पना का कोई महत्व नहीं था।इस संबंध में, न्यायालय को मृत्यु घोषणा की पूरी भाषा को देखना चाहिए;

ङ. उसके समक्ष मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य दोनों के रूप में सामग्री पर विचार करते हुए, न्यायालय को संतुष्ट होना चाहिए कि संस्करण वास्तविकता और सत्य के साथ संगत है जिसे स्थापित तथ्यों से प्राप्त किया जा सकता है।

बी.

च. हालांकि, ऐसे मामले हो सकते हैं जहां एक से अधिक मृत्यु घोषणाएं हो सकती हैं।यदि एक से अधिक मृत्यु घोषणाएँ हैं, तो मृत्यु घोषणाएँ पूरी तरह से एक दूसरे से सहमत हो सकती हैं।वहाँ मरने वाली घोषणाएँ हो सकती हैं जहाँ घोषणाओं के बीच विसंगतियाँ सामने आती हैं।इसके बाद न्यायालय को विसंगतियों की सीमा पर विचार करना होगा।विसंगतियाँ सुलह योग्य साबित हो सकती हैं।छ. ऐसे मामलों में, जहां विसंगतियां विस्तार या विवरण के किसी मामले में जाती हैं, लेकिन जहां तक अभियुक्त का संबंध है, तो न्यायालय यह निष्कर्ष निकालने के लिए रिकॉर्ड पर

सामग्री को देखेगा कि किस मृत्यु घोषणा पर भरोसा किया जाना है, जब तक कि यह नहीं दिखाया जाता है कि वे अविश्वसनीय हैं।ज. मामलों की तीसरी श्रेणी यह है कि जहां एक से अधिक मृत्यु घोषणाएं हैं और घोषणाओं के बीच विसंगतियां पूर्ण हैं और मृत्यु घोषणाएं एक दूसरे के लिए अप्रिय होने के कारण अपरिवर्तनीय हैं।मृत्यु घोषणा में, अभियुक्त को बिल्कुल भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता है और मृत्यु का कारण एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के दरवाजे पर रखा जा सकता है।इसके बाद एक और मृत्यु घोषणा की जा सकती है जो पहली मृत्यु घोषणा के बिल्कुल विपरीत है।वास्तव में, उस परिदृश्य में, यह एक असंगत मृत्यु घोषणा का सवाल नहीं हो सकता है, बल्कि एक मृत्यु घोषणा हो सकती है जो पहले दी गई मृत्यु घोषणा का पूरी तरह से विरोध करती है।दो से अधिक हो सकते हैं।"

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

आई. तीसरे परिदृश्य में, न्यायालय का कर्तव्य क्या है?क्या न्यायालय को, किसी और चीज पर गौर किए बिना, यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि पूरी तरह से असंगति को देखते हुए, दूसरी या तीसरी मृत्यु घोषणा, जिस पर अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा किया जाता है, पहले की मृत्यु घोषणा या मृत्यु घोषणाओं द्वारा ध्वस्त कर दी जाती है या क्या यह है

एच.

न्यायालय का कर्तव्य है कि वह न केवल मृत्यु घोषणाओं पर सावधानीपूर्वक ध्यान दे, बल्कि न्यायालय के समक्ष रखे गए साक्ष्य के रूप में शेष सामग्रियों की जांच करे और फिर भी यह निष्कर्ष निकाले कि दोषपूर्ण मृत्यु घोषणा पर भरोसा किया जा सकता है?"

17. उपरोक्त सिद्धांतों के आलोक में, मृत्यु घोषणा के साक्ष्य मूल्य पर विचार करना आवश्यक है, जिस पर अभियोजन पक्ष द्वारा अपीलार्थी को दोषी ठहराने के लिए भरोसा किया गया था।

बी.

18. निचली विचारण न्यायालय ने मिट्टी के तेल की उपस्थिति, मृतक पर जलने की चोटों की प्रकृति, मिट्टी के तेल से बदबू आने वाले माचिस के डिब्बे और एक टूटे हुए मंगलसूत्र जैसी परिस्थितियों पर भरोसा किया था। पी-11 और एक्स। पी-26)।मृतक के रिश्तेदारों की गवाही का ज्यादा असर नहीं हुआ क्योंकि उनमें से किसी ने भी अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया।

उच्च न्यायालय ने अपने विवादित फैसले में पीडब्लू-7 (पूर्व) द्वारा दर्ज अंतिम घोषणा को स्वीकार किया और उस पर भरोसा किया। पी-11), नायब तहसीलदार याशा राय। हालांकि, उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रभारी अधिकारी, पीडब्लू-15 द्वारा एक बयान के रूप में दर्ज की गई दूसरी मृत्यु घोषणा पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।न्यायालय की राय थी कि भले ही पीडब्लू-15 को डॉक्टर से फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी मृत्यु के बयान में अंतिम पंक्ति को देखते हुए कि उसकी हालत खराब थी, इस तरह के पुलिस बयान पर भरोसा करना असुरक्षित था।इस पहलू पर उच्च न्यायालय के निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

सी.

डी.

ई.

"39. अपीलार्थियों के वकील द्वारा की गई दलीलों पर विचार करने से पहले, यह न्यायालय इस बात पर विचार करना चाहेगा कि क्या घायल पुष्पा, पूर्व का पुलिस बयान। पी. 26 विश्वसनीय है या नहीं?

एफ.

40. जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, एस. के. चतुर्वेदी (पी. डब्ल्यू. 15), जिन्होंने घायल पुष्पा का पुलिस बयान दर्ज किया था, की अपीलार्थी सुशीला बाई @हल्की की पुनः गिरफ्तारी के बाद जांच नहीं की गई थी, और एस. के. चतुर्वेदी (P.W.15) के साक्ष्य के रूप में सुशीला बाई @हल्की की अनुपस्थिति में दर्ज किया गया था, इसलिए, उनके साक्ष्य को अपीलार्थी सुशीला बाई @हल्की के पक्ष या विरोध में नहीं पढ़ा जा सकता है।इस प्रकार, केवल एक मृत्यु घोषणा है, Ex। पी. 11 अपीलार्थी सुशीला बाई @हल्की के विरुद्ध।

जी.

एच.

111

राजाराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

ए.

41. एस. के. चतुर्वेदी (P.W.15) ने कहा है कि उन्होंने घायल/मृत पुष्प सहित गवाहों के बयान दर्ज किए थे।अगर घायल/मृत पुष्प के पुलिस बयान पर विचार किया जाए तो बयान के अंत में यह उल्लेख किया जाता है कि उसकी हालत बहुत खराब है।इसलिए, यह स्पष्ट नहीं है कि घायल/मृत पुष्प मानसिक रूप से स्वस्थ थे या नहीं।अन्यथा, इस गवाह ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि उसने किस तारीख को घायल/मृत पुष्प का बयान दर्ज किया था।यह सच है कि Cr.P.C की धारा 161 के तहत पुलिस बयान दर्ज करते समय, इस गवाह को डॉक्टर से फिटनेस प्रमाण

पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उसके बयान की अंतिम पंक्ति को देखते हुए, कि "उसकी स्थिति बहुत खराब है", इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि घायल/मृत पुष्प, पूर्व के पुलिस बयान पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं होगा। पी. 26.

बी.

सी.

42. तदनुसार, घायल/मृतक पुष्पा बाई के पुलिस बयान, Ex.P.26 पर विश्वास नहीं किया जाता है।"

डी.

19. इस न्यायालय के निर्णय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत, विशेष रूप से लक्ष्मण और कई मृत्यु घोषणाओं से संबंधित निर्णय, जो एक आपराधिक मुकदमे के दौरान प्रस्तुत किए गए थे, विशेष रूप से जहां मृतक जलने से पीड़ित था और जलने की चोटों के कारण उसकी मौत हो गई थी और मृत्यु से पहले एक से अधिक मृत्यु घोषणा की गई थी, ने संकेत दिया है कि रिकॉर्ड पर समग्र तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विश्वसनीयता की परीक्षा को अपनाया जाना चाहिए।

ई.

20. यह न्यायालय नोटिस करती है कि वर्तमान एक ऐसा मामला है जहां दूसरी मृत्यु घोषणा को उच्च न्यायालय द्वारा पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है।इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय द्वारा भरोसा किए गए साक्ष्य के संचयी भार की जांच करने की आवश्यकता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या अपीलार्थी उस अपराध का दोषी है जिसके लिए वह दोषी ठहराया गया है, यानी आई. पी. सी. की धारा 498 ए। Ex. पी-26, दूसरी मृत्यु घोषणा एकमात्र सबूत है जो अपीलार्थी को अन्य अभियुक्तों के साथ मृतक पर क्रूरता के अपराधियों में से एक के रूप में नामित करता है।अवर न्यायालयों दोनों न्यायालयों ने पूर्व में इस पर ध्यान दिया है। पी-11, पहली मृत्यु घोषणा, अपीलार्थी का नाम नहीं लिया गया है; बल्कि वह अपने पिता के साथ गंभीर रूप से घायल स्थिति में मृतक को अस्पताल ले गया।निस्संदेह, पहली मृत्यु घोषणा का ध्यान केवल मिट्टी का तेल डालने और मृतक को आग लगाने की घटना पर केंद्रित है।दूसरी मृत्यु घोषणा, एक्स। पी-26 अकेले क्रूरता के कृत्यों का विस्तार से वर्णन करता है।यही दोषारोपण का एकमात्र टुकड़ा है

एफ.

जी.

एच.

अभियुक्त के खिलाफ सबूत।जहाँ तक न्यायालय द्वारा विचार की गई रिपोर्ट में वस्तुओं की बरामदगी और मिट्टी के तेल की गंध का संबंध है, वे मृतक को आग लगाने की घटना से संबंधित परिस्थितियाँ हैं।वे अपीलार्थी के खिलाफ धारा 498 ए के तहत अभियोजन पक्ष के मामले को आगे नहीं बढ़ाते हैं।

बी.

21. उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलार्थी के खिलाफ एकमात्र साक्ष्य, अर्थात, पूर्व। पी-26 को उच्च न्यायालय द्वारा बदनाम किया गया था, उसकी दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए कोई अन्य सामग्री नहीं है।इन कारणों से, विवादित निर्णय और अपीलार्थी की दोषसिद्धि और सजा को इसके द्वारा अपास्त करना दिया जाता है।अपील की अनुमति है लेकिन लागत के रूप में किसी भी आदेश के बिना।

सी.

अंकित ज्ञान

अपील की अनुमति दी गई।

(सहायकः राहुल राठी, एलसीआरए)

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.